



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 911]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2017/कार्तिक 16, 1939

No. 911]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 2017/KARTIKA 16, 1939

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2017

सा. का. नि. 1373(अ).—विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2017 से सम्बन्धित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में तारीख 23 जून, 2017 को प्रकाशित, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 629(अ), दिनांक 23 जून, 2017 में—

(i) पृष्ठ 4 की पंक्ति 20, सारणी-1 के स्तम्भ (3) में अंक “1.5” के स्थान पर अंक “2.0” पढ़ा जाए।

(ii) पृष्ठ 5 पर,

(क) पंक्ति 25 में “खंड (ग)”, के स्थान पर “क्रमशः खंड (ढढढ) और (द)” पढ़ा जाए।

[फा. सं. डब्ल्यू.एम.-10 (4)/2016]

पी. वी. रामाशास्त्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 7th November, 2017

G.S.R. 1373(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) number G.S.R. 629(E), dated the 23rd June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 23rd June, 2017, relating to the Legal Metrology (Packaged Commodities) Amendment, Rules, 2017,—

(i) at page 11, line 33, in the Table-I, in column (3), for “1.5” read “2.0”;

(ii) at page 12,—

(a) line 26, for “(i)” read “(ii)”;

(b) line 29, for “clause (c)” read “clause (nnn) and clause (r), respectively,”.

[F. No. WM-10(4)/2016]

P. V. RAMA SASTRY, Jt. Secy.